Most Urgent

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 3( )लेखा/प्रमुवसं/बजट/2013–14/8582–701 दिनांक : 11.1.17

समस्त वनाधिकारीगण

विषयः–विभागीय अधिकारियों के नाम से बैंक खाते के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तार्गत वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 21(2)FWM/2007 दिनांक 23.02.2007 एवं 07.01.2016 द्वारा निर्देशित किया गया था कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना कोई भी बैंक खाता नहीं खोला जाये और यदि कोई खाता वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोला गया है तो उसको अविलम्ब बन्द किया जाये। उक्त पत्र की प्रति पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 25532–672 दिनांक 22.03.2007 तथा 10085–205 दिनांक 26.02.2016 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है। विभिन्न कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना बैंक खातों का संचालन किया जा रहा है जो कि वित्त विभाग के आदेशों का उल्लघंन है। अतः वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को अविलम्ब बन्द करते हुये सूचना 7 दिवस में प्रेषित करें।

यदि किसी कार्यालय को बैंक खाता की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग की अनुमति के लिए विस्तृत प्रस्ताव भिजवाये जिसमें सम्बन्धित योजनाओं का पूर्ण विवरण हो।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

11.1.17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(HOFF)
राजस्थान, जयपुर

8702
11.1.17

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक (IT) सूचना प्रौद्योगिकी अरण्य भवन, जयपुर को विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

11/1/17

Government of Rajasthan
Finance Department
(Ways and Means)

F.21(1)FWM/2007 dated 23 Feb: 2007

All Financial Advisor/Chief Accounts Officer/
Sr. Accounts Officers/ Accounts Officers.

Rajasthan,

Sub :- Regarding Opening of Bank Account in the Name of Departmental Officers.

Sir,

It has come to the notice that some Bank Accounts in the name of Departmental Officers are in operation. As per rules Departments can not have Bank Accounts.

Therefore, all the Financial Advisors/Chief Accounts Officers/ Sr. Accounts Officers/Accounts Officers (senior most in the department) are hereby directed to ensure that no Bank Account should be opened in the name of Departmental Officers. If there are any bank accounts in operation and which were opened without the permission of FD, the same should be closed immediately. If there are statutory/ mandatory requirements to have a Bank Account, prior permission of Finance Department should be obtained.

Yours faithfully,

(S.C.Garg)
Finance Secretary - III

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.3(1)प्रमुवसं/लेखा/बजट/2006-07/25532-672 दिनांक : 22/3/07

प्रतिलिपी समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/समस्त मुख्य वन संरक्षक/समस्त निदेशक/समस्त वन संरक्षक/समस्त उप वन संरक्षक/मंडल वन अधिकारी/भूं संरक्षण अधिकारी/समस्त रेंज अधिकारी/समस्त निजी सचिव एवं समस्त अन्य वनाधिकारीगणों को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग के उपरोक्त निर्देशो की सख्ती से पालना की जावे। अवहेलना की स्थिति में जिम्मेदारी संबधित अधिकारी की होगी।

भवदीय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प.21(2)वि.मा./2010

जयपुर, दिनांकः 7 जनवरी, 2016

1. समस्त विभागाध्यक्ष
2. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्यलेखाधिकारी/
वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, राजस्थान।

विषय :– विभागीय अधिकारियों के नाम से बैंक खाते के संबंध में।

महोदय

इस विभाग के पत्रांक प.21(2)विमा/2007 दिनांक 23.02.2007 एवं प.21(2)विमा/2010 दिनांक 07.07.2011 द्वारा विभागीय अधिकारियों के नाम से बैंक खातों के संबध में निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के उपरान्त भी ध्यान में आया है कि कई विभागों में अधिकारियों के नाम से अभी भी बैंक खाते खुले हुए हैं। अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

1. विभागीय अधिकारियों के नाम से बैंक खाते नहीं खुलवाए जावें तथा वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को तुरन्त बन्द कराया जावे।
2. वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता होने पर पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जावें व वित्त विभाग की पूर्वानुमति से ही बैंक खाते खोले जावें।
3. बैंक खातों का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से ही किया जावे।
4. विभाग में किसी एक योजना से संबंधित यदि राज्यवार एवं जिलेवार/ब्लाकवार खाते विद्यमान हो तो उन खातों को बन्द कर केवल एक राज्यस्तरीय खाता ही खोला जावे तथा बन्द कराये गए सभी खातों की राशि इस नवीन खाते में हस्तान्तरित की जावे।
5. बैंक खातों में पूर्व में संचालित और अब बन्द हो चुकी योजना की अवशेष राशि हो तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखा सेवा के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निर्देशों की पालना सख्ती से हो।

भवदीय

(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अनुभाग, वित्त विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त कोषाधिकारी एवं उप कोषाधिकारी, राजस्थान।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर को ... ही आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

लिपिक 11/2/16

सहायक शासन सचिव 11/2/16

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 3( )लेखा/प्रमुवसं/2013–14/ 10085–205   दिनांक : 26.2.16

प्रतिलिपि:—समस्त वनाधिकारियों को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर